न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 450/2025

श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री श्योलाल सैनी, ग्राम राजीवपुरा, पो0 मणकसास, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राज0), मो0न0 9462349569

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निवर्चाचन अधिकारी) झुंझुनूं।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 13.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.10.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 450/2025 पर दिनांक 27.10.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निवर्चाचन अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निवर्चाचन अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निवर्चाचन अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/ 4664—665 दिनांक 27.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निवर्चाचन अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 37(7)(8)विविध/चुनाव/2011/999 दिनांक 10.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2025 आज दिनांक तक इस कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है। अतः प्रार्थी की यह अपील खारीज फरमाई जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निवर्चाचन अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 37(7)(8)विविध/चुनाव/2011/999 दिनांक 10.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2025 आज दिनांक तक उनके कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है। चूंकि प्रार्थी का आवेदन पत्र ही लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त नही हुआ है जिसके कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं